



Neutral Citation No.- 2026:AHC:15608

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-17199 वर्ष 2025**

श्रीमती सुदामा

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: योगेश मिश्रा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय सं - 66**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल**

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री योगेश मिश्रा, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुनील कुमार को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने मुकदमा अपराध संख्या-430 वर्ष 2023, धारा 302, 328, 120बी भ०द०वि०, थाना-कासगंज, ज़िला: कासगंज के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ज़मानत मांगी है।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, 22.06.2023 को, आवेदक ने मृतक व्यक्ति को अपने घर बुलाया था और उसकी हत्या की थी क्योंकि आवेदक के घर के पीछे सूचनाकर्ता के बेटे का शव पाया गया था। शव 23.06.2023 की सुबह बरामद किया गया।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि शव की बरामदगी के बाद प्राथमिकी में लगभग बीस घंटे की देरी हुई है, और उक्त देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है। घटना का कोई चश्मदीद गवाह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं है। आवेदक को किसी भी व्यक्ति द्वारा मृत व्यक्ति पर हमला करते या उसकी हत्या करते हुए नहीं देखा गया था। यह सच है कि मृतक व्यक्ति का शव आवेदक के घर के पीछे ही पाया गया था, लेकिन, एक महिला होने के नाते, उसके पास अभियोजन पक्ष द्वारा बताए गए तरीके से शव का निपटान करने के लिए संसाधन नहीं थे।

6. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि मृतक व्यक्ति की विसरा रिपोर्ट में ज़िंक फॉस्फाइड जहर पाया गया था। उक्त रसायन चूहा विकर्षक में पाया गया था, जिससे मृतक व्यक्ति ने आत्महत्या भी की होगी। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 24.06.2023 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

7. अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत याचिका का पुरजोर विरोध किया है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मृत व्यक्ति का कोई गुप्त विवरण नहीं है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने ज़मानत के लिए मामला बनाया है। ज़मानत आवेदन की अनुमति है।

9. आवेदक- **श्रीमती सुदामा**, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

**जनवरी 21, 2026**

(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.